"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2001 अग्रहायण 22, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-394/2001/वा.क./पांच (75)—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, रायपुर के बिशप, डायोसिस ऑफ रायपुर को केवल पूजा के प्रयोजन हेतु, सेक्रामेंटल वाईन के निर्माण, कब्जा एवं परिवहन हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 10 एवं 13 (क) की प्रभावशीलता से छूट प्रदान करता है.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

Raipur, the 13th December 2001

NOTIFICATION

No. F-10-394/2001/C.T./V(75).—In exercise of the powers conferred by Section 66 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government hereby exempts, the Bishop of Raipur, Diocese of Raipur from the operation of section 10 and 13(a) of Chhattisgarh Excise Act, 1915 for manufacture, possession and transportation of Sacramental wine for the purpose of worship only.

This notification shall take effect from the date of publication in the official gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001